संख्या-9/2015 एस-65/38-2-2015-1 ब(टी)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2015**

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गतआयोजनेत्तर पक्ष की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा आपके पत्रांक-195/1/प्रशि0/बजट(4)/2015-16 दिनांक 23-04-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या- 13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों से सम्बन्धित होने वाले व्यय को वहन करने हेतु संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 6,11,63,000/- (रूपये छः करोड़ ग्यारह लाख तिरसठ हजार मात्र) तथा 40,12,74,000/- (रूपये चालीस करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रूपये 46,24,37,000/- (रूपये छियालीस करोड़ चौबीस लाख सैतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाय तथा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ तथा लेखाशीर्षक-2515-अन्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-003 प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/2015 एस-65(1)/38-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम-द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-ययक) अनु0-1/2
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-एस-65 /38-2-2015 तददिनांक 29 अप्रैल, 2015 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-13

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्रमांक	मानक मद	धनराशि
1	2	3
1	01-वेतन	23286
2	02-मजदूरी	220
3	03-महंगाई भत्ता	27943
4	04-यात्रा व्यय	140
5	05-स्था0 यात्रा व्यय	20
6	06-अन्य भत्ते	2783
7	08-कार्यालय व्यय	350
8	09-विद्युत देय	1800
9	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	24
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15
11	13-टेलीफोन व्यय	115
12	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	2200
13	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	525
14	16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200
15	18-प्रकाशन	30
16	26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	135
17	29-अनुरक्षण	200
18	42-अन्य व्यय	20
19	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	160
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	25
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	232
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	120
23	49-चिकित्सा व्यय	600
24	51-वर्दी व्यय	20
	योग:-	61163

(रूपये छः करोड़ ग्यारह लाख तिरसठ हजार मात्र)

तथा

अनुदान संख्या-13

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्रमांक	मानक मद	धनराशि
1	2	3
1	01-वेतन	173040

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	02-मजदूरी	1713
3	03-महंगाई भत्ता	207648
4	04-यात्रा व्यय	825
5	05-स्था0 यात्रा व्यय	125
6	06-अन्य भत्ते	9443
7	08-कार्यालय व्यय	950
8	09-विद्युत देय	1000
9	10-जलकर/जलप्रभार	75
10	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	50
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
12	13-टेलीफोन व्यय	100
13	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	650
14	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000
15	26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	1000
16	29-अनुरक्षण	50
17	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	50
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	75
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	825
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	150
22	49-चिकित्सा व्यय	2180
23	51-वर्दी व्यय	75
	योग:-	401274

(रूपये चालीस करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।